



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

क्रमांक/स्था/2021/ 1011

दुर्ग, दिनांक 14/04/2021

संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./71/2021/424 नया रायपुर दिनांक 09.04.2021 के तहत राज्य आपदा मोचन निधि एवं अन्य कोविड-19 कार्यों हेतु एम.पी.डब्ल्यू की आगामी 03 माह के लिए संविदा भर्ती की जानी है।

संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

वाक-इन-इन्टरव्यू	
तिथि 16 अप्रैल 2021 समय प्रातः 10:30 से 12:30 आवेदन का पंजीयन	
स्थान	जिला पंचायत समाकक्ष

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय : सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक
पात्र सूची का प्रकाशन : दोपहर 03 बजे तक
दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय : दोपहर 03:00 से 04:00 बजे तक
दावा आपत्ति निराकरण : दोपहर 04:30 से

नोट :- (1) पात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

(2) दावा आपत्ति पश्चात पात्र सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

जिला दुर्ग में संचालित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में आवश्यकतानुसार अस्थायी नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु इच्छुक आवेदक अपने सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन वाक-इन-इन्टरव्यू हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	न्यूनतम अर्हताएं	एकमुश्त प्रति माह वेतन
1	एम.पी.डब्ल्यू (पुरुष)	12 th Passed, MPW Passed from INC affiliated Training Center & Live Registration in CG Nursing Council.	12000/-

नियम एवं शर्तें

- आयु - अभ्यर्थी की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 होना चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2021 अनुसार की जावेगी।
- उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी हैं।
- निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा भर्ती के संबंध में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा-
 1. 10 वी एवं 12 वी की अंकसूची। जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
 2. संबंधित कोर्स से उत्तीर्ण समस्त वर्षों की अंकसूची।
 3. छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।



गास्कर पहनी, 2-गज की दूरी अपनाएं, सावुन से हाथ धोएं




5. शासकीय/निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के संलग्न करना अनिवार्य होगा।

• अनुभव — 1. शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी को पूर्ण प्रतिवर्ष पर 05 अंक अधिकतम 15 अंक एवं निजी नर्सिंग होम/अस्पताल (100 विस्तर या अधिक) में कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष पूर्ण होने पर 03 अंक अधिकतम 15 अंक दिया जावेगा।

• मेरिट लिस्ट का निर्धारण :-

1. शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत एवं अनुभव का 15 अंक पर मेरिट तैयार की जावेगी।

- प्राप्त आवेदनों की एवं वरीयता सूची की वैधता विज्ञापन जारी दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए होगी।
- दावा आपत्ति में केवल टंकन त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- चयनित उम्मीदवारों की सूची, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग, जिला पंचायत के सूचना पटल तथा एवं जिले के वेबसाइट www.durg.gov.in पर देखा जा सकेगा। किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
- उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग (छ.ग.) का होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
14.4.21